भास्कर ए. सावन्त
आई.ए.एस.
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

XEN (IT)
27/11/2015

जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर-302 005

अध्यक्ष • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

CIN:U40109RJ2000SGC016486

जेपीडी./अध्यक्ष डिस्कॉम्स/पीपीएम/पत्रा0/प्रे0 259 दिनांक – 10.11.2015

आदेश

राज्य सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत घटित अपराधों में जांच एवं एफ आई.आर. इत्यादि दर्ज कराने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किये गए हैं। समय-समय पर यह ध्यान में लाया गया है कि बिजली चोरी व अन्य गम्भीर अपराधों को रोकने के लिये वी.सी.आर. की उचित मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है एवं कुछ मामलों में वी.सी.आर. त्रुटिपूर्ण भरने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं।

इसी क्रम में वी.सी.आर. की उचित मॉनिटरिंग एवं विवादों के निस्तारण हेतु आदेश सं0 अध्यक्ष/समन्वय समिति/त.स./प्रे0 18 दिनांक 05.04.2008 के द्वारा वी.सी.आर. मॉनिटरिंग एवं रिव्यूइंग कमेटी का गठन किया था एवं आदेश क्र0 अध्यक्ष/डिस्कॉम्स/अधी.अभि./सतर्कता/प्रे0 44 दिनांक 17.04.2013 के द्वारा इसमें आंशिक संशोधन किया गया था।

वी.सी.आर. मॉनिटरिंग एवं रिव्यूइंग कमेटी को अधिक प्रभावी बनाने एवं उपभोक्ताओं की समस्याओं के उचित समाधान के उद्देश्य से इस विषय पर पुनः विचार किया गया एवं विचार विमर्श के पश्चात निम्नलिखित संशोधित दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया :-

1. वी.सी.आर. मॉनिटरिंग एवं रिव्यूइंग कमेटी का गठन वृत स्तर, सम्भाग स्तर एवं निगम स्तर पर किया जायेगा जिसकी वित्तीय सीमा एवं सदस्य निम्नानुसार होंगे।

<u>(अ) वृत स्तरीय वी.सी.आर. मॉनिटरिंग एवं रिव्यइंग कमेटी</u>

वित्तीय सीमा:-सिविल लाइबिलिटी राशि रू0 5 लाख तक।आवेदन शुल्क :- रू0 500.00

<u>समिति के सदस्य :-</u>

1. अधीक्षण अभियन्ता (पवस) – अध्यक्ष
2. अधिशाषी अभियन्ता (सतर्कता) – सदस्य सचिव
3. इंचार्ज, विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना – सदस्य
4. वृत्त लेखाधिकारी – सदस्य

<u>(ब) सम्भाग स्तरीय वी.सी.आर. मॉनिटरिंग एवं रिव्यूइंग कमेटी</u>

वित्तीय सीमा :-सिविल लाइबिलिटी राशि रू0 5 लाख से अधिक एवं रू0 20 लाख।
आवेदन शुल्क :- रू0 750/-

<u>समिति के सदस्य :</u>

1. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता – अध्यक्ष
2. अधिशाषी अभियन्ता (सतर्कता) (सम्भाग मुख्यालय पर) – सदस्य सचिव
3. उप-अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) – सदस्य
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी – सदस्य

<u>(स) निगम स्तरीय वी.सी.आर. मॉनिटरिंग एवं रिव्यूइंग कमेटी :</u>

वित्तीय सीमा :- सिविल लाइबिलिटी राशि : रू0 20लाख से अधिक।
आवेदन शुल्क :- रू0 1,000/-

SE (IT), AVVNL, AJMER
R. R. No 2322 Dt 27.11.15
SECTION.....................

समिति के सदस्य :

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्ध निदेशक – अध्यक्ष
2. निदेशक (तकनीकी) – सदस्य
3. निदेशक (वित्त) – सदस्य
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) – सदस्य सचिव
5. अति0 पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) – सदस्य
6. अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता) – सदस्य
7. अधिशाषी अभियन्ता (लीगल) – सदस्य

1. कमेटी के समक्ष वाद की प्रस्तुति संबंधित चैकिंग अधिकारी द्वारा की जावेगी। अधिशाषी अभियन्ता (सतर्कता) यदि स्वयं चैकिंग अधिकारी हो तो कमेटी का सदस्य सचिव अधीक्षण अभियन्ता (पवस)/सम्भागीय मुख्य अभियन्ता के तकनीकी सहायक होंगे। आवश्यकतानुसार मीटर विंग/अन्य विंग के अधिकारी समिति में आमंत्रित सदस्य होंगे।
2. उपरोक्त समिति वी.सी.आर. की उचित मॉनिटरिंग एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत भरी गई वी.सी.आर. के संबंध में प्राप्त विवादों के समाधान के लिये अधिकृत होंगे।
3. वी.सी.आर. की तिथि से 15 दिवस पश्चात प्राप्त आवेदनों पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।
4. समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये निम्नलिखित राशि जमा कराया जाना अनिवार्य है:–
   1. 50 प्रतिशत सिविल लाइबिलिटी राशि या रू0 10 लाख जो भी कम हो।
   2. आवेदन शुल्क राशि
5. उपभोक्ता या प्रभावित व्यक्ति समिति के अध्यक्ष को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा जिसको स्वीकृत किये जाने पर निर्धारित राशि जमा कराई जा सकेगी।
6. कमेटी द्वारा ऐसे प्राप्त आवेदनों की सूचना तत्काल संबंधित पुलिस थाने को प्रेषित की जायेगी।
8. कमेटी को यह अधिकार होगा कि विवाद के निस्तारण हेतु यदि आवश्यक समझे तो किसी सक्षम अधिकारी को विवादित स्थल पर भेजकर रिपोर्ट मंगवा सकेगी एवं उपलब्ध सामग्री/तथ्यों की विवेचना से निर्णय ले सकेगी। कमेटी के लिये यह भी वांछनीय होगा कि वह उपभोक्ता या प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दे।
9. कमेटी आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन में उसका निस्तारण करना सुनिश्चित करेगी।
10. वी.सी.आर. पर अग्रिम कार्यवाही कमेटी के निर्णयानुसार की जायेगी।

(भास्कर ए. सावंत)
अध्यक्ष, डिस्कॉम्स

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा)

क्र. / अ.वि.वि.नि.लि. / मु.अ.(वाणिज्य) / अ.अ.–II / 2015–16 / प्रे 6145 दिनांक 17-11-15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, उदयपुर / झूझंनू।
3. मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा / अंकेक्षण / राजस्व), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
4. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।

5. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम..........................को अतिरिक्त.............. प्रतिलिपियाँ अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
6. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स / प्लान / एम.एम / आर.डी.पी.पी.सी. / आई.टी.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर / उदयपुर / जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. श्री पी.एन. भंडारी, आई.ए.एस, (रिटल), जयपुर ।
10. श्री डी.एस. अग्रवाल, रूद्राक्ष एनर्जी, जयपुर ।
11. डॉ. के. एल. जैन, सचिव (Honorary) , जयपुर ।
12. सचिव जनरल उपभोक्ता यूनिटी एवं टस्ट सोसाइटी , जयपुर ।
13. मुख्य विद्युत (जनरल) अभियन्ता, नार्थ वेस्ट रेल्वे, जयपुर ।
14. राजस्थान विद्युत विकास संस्थान, जयपुर ।
15. अधिशाषी अभियन्ता,( ), अजमेर डिस्कॉम..............................
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी,( ), अजमेर डिस्कॉम................................
17. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
18. प्रभारी, विधि विभाग, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
19. प्रावेधिक सहायक, प्रबंध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
20. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स्, जयपुर।
21. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
22. निजी सहायक, निर्देशक (वित्त / तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
23. निजी सहायक, विद्युत लोकपाल, राजस्थान सरकार, सहकार मार्ग, जयपुर।

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)